जिला खनन फाउंडेशन की कार्यशाला

रॉयल्टी की राशि से प्रभावित लोगों का विकास होना चाहिए : सुनीता

क्षेत्रीय संवाददाता

रांची, 3 जुलाई : सेंटर फॉर साउंस एण्ड इन्वारमेंट (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि खनन क्षेत्र में जिला मिनरल (खनिज) फाउंडेशन (डीएमएफ) की महत्वपूर्ण भूमिका है। फाउंडेशन खनन क्षेत्रों से प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करता है। खनन करने वाली कम्पनियों से रॉयल्टी के रूप में डीएमएफ को जो राशि मिलती है उससे जिलों का नहीं प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों का विकास होना चाहिए। वन क्षेत्र एवं खनन क्षेत्र में रहने वाले सबसे गरीब हैं। रॉयल्टी की राशि से खनन क्षेत्र के लोगों खासकर आदिवासियों का विकास होना चाहिए।

कार्यशाला को सम्बोधित करते सुनीता नारायण एवं उपस्थित प्रतिभागी। छाया : फिरोज

सुश्री नारायण जिला मिनरल फाउंडेशन द्वारा अवसर एवं चुनौतियां विषय पर होटल लीलैक में आयोजित कार्यशाला में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने माइनिंग एण्ड मिनरल्स एक्ट 1957 में संशोधन करके नया एक्ट 2015 लागू किया है। नये एक्ट में अच्छाइयों के साथ-साथ कई कमी भी है। उन्होंने कहा कि 2011 का संशोधन बिल काफी अच्छा था। संशोधन बिल से सरकार एवं जिला को काफी राशि मिलती। खनन क्षेत्र में पर्यावरण एवं सड़क काफी गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि चोरी-छिपे खनिज पदार्थ निकालना अवैध उत्खनन है।

सुश्री नारायण ने कहा कि देश में गोवा एवं उड़ीसा में सबसे अधिक अवैध उत्खनन होता है। उसके बाद झारखंड आता है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने सरकार से सिफारिश की थी कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाये। साथ ही खनिज के रॉयल्टी निर्धारण के लिए भी स्वतंत्र आयोग का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डीएमएफ का गठन किया गया है उसमें कई त्रुटियां है।

सीएसई के उप महानिदेशक चन्द्रभूषण ने कहा कि खनन एवं खनिज क्षेत्रों की वास्तनिकता क्या है यह आमलोगों को बताना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के सम्पन्न (खनिज) क्षेत्र के लोग गरीब क्यों हैं? उन्होंने कहा कि खनन करने वाली कम्पनियां सरकार से लीज लेकर वर्षों तक खनिज पदार्थों का खनन कर उसे खुला छोड़कर चली जाती है। जिस व्यक्ति की जमीन से खनन होता है उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। फलतः खनन क्षेत्र के लोग गरीब होते है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी रॉयल्टी की राशि से खनन से प्रभावित लोगों के विकास पर खर्च नहीं करती है। उन्होंने कहा कि खनन के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है।

चन्द्रभूषण ने कहा कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए दंड का प्रावधान करने से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लौह अयस्क से पश्चिमी सिंहभूम में प्रतिवर्ष 605 करोड़ रुपए आयेगा। क्योंझर में 600 करोड़ रुपए आयेगा। झारखंड में कोयला खनन से 820 करोड़ रुपए मिलेगा। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन से पूरे देश में 10 हजार करोड़ रुपए जिलों में जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खनिज पदार्थों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन होना चाहिए। कार्यशाला में प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कार्यशाला में उड़ीसा, रायगढ़ सहित झारखंड के कई जिलों से प्रतिभागी एवं एनजीओ शामिल थे।